



<p>हुकम</p>	<p>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 1351/2017 अनवान वगतूकंबर बनाम दुर्गराम</p>	<p>नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए</p>
<p>05.06.2018</p>	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 05.06.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पत्रावली पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर </p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर में स्थित खेत खसरा संख्या 1813 रकबा 77.12 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे हैं व भूमि बेचान करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द करवाये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त भूमि अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर समान रूप से कब्जा काश्त होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का कोई न्यायसंगत कारण प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विधि सम्मत एवं तर्क संगत नहीं होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p>	



  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बाडमेर